



Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्रमांक/शिक्षक शिक्षा /डी.एड./दूरस्थ शिक्षा/30-2/2012-13/ 4159 दिनांक 05-09-2012
प्रति,

समस्त प्रधानपाठक
शासकीय प्राथमिक विद्यालय
जिला-छत्तीसगढ़

विषय:- दूरस्थ शिक्षा से डी.एड. प्रशिक्षण हेतु अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को कार्यमुक्त करने
बाबत।

“निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009” धारा 23 की
उपधारा 2 के अनुसार-“ऐसा कोई शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर धारा 23
की उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के
भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।

इसी अनुक्रम में अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों से जिन्होंने पूर्णकालिक अथवा पत्राचार
माध्यम से एक वर्षीय बी.एड. अथवा द्विवर्षीय डी.एड./बी.टी.आई.प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है,
आवेदन पत्र आनलाइन मंगाए गए थे। तदनुसार केन्द्रवार सूची तैयार की गई है।

प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रथम संपर्क कार्यक्रम दिनांक 06.09.12 से 10.09.12 तक केन्द्रों में
आयोजित है इस हेतु संलग्न सूची अनुसार अपनी संस्था के सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक
पंचायत को उक्त तिथियों में केन्द्र में उपस्थिति हेतु कार्यमुक्त करें।

प्रशिक्षण केवल उन्हीं सेवारत अप्रशिक्षित सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक पंचायत के
लिए है जिन्होंने पूर्व में उपरोक्त उल्लेखित अनुसार बी.एड./डी.एड./बी.टी.आई. नहीं किया
है।

(अनिल राय)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी.

रायपुर छ.ग.

संलग्न- सूची उपरोक्तानुसार

पृष्ठ क्रमांक/शिक्षक शिक्षा /डी.एड./दूरस्थ शिक्षा/30-2/2012-13/4160 दिनांक 05-09-2012

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी।
2. समस्त सहायक आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी।

(अनिल राय)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी.